रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1463] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2013/आषाढ़ 4, 1935
No. 1463] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2013/ASHADHA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 25 जून 2013

का.आ. 1846(अ).– यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2592 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2009 द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 के 6.082 किमी से 108.502 किमी (पठानकोट-अमृतसर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 19.06.2009 को प्रस्तुत की गयी बोली हेतु मैसर्स आइआरबी पठानकोट अमृतसर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आइआरबी काम्प्लेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400072 में है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ पंजाब राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 पर 6.082 किमी (डिजाइन चैनेज) से 108.502 किमी (डिजाइन चैनेज) तक पठानकोट-अमृतसर सेक्शन (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के चार लेन में विभाजित सड़क मार्ग में विकास करने तथा उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 16.11.2009 को करार किया था (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् " उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज,युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 68.281 किमी के लिए चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, सारिणी 1 के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट दर पर उक्त खण्ड के उपयोग के लिए, यांत्रिक वाहनों पर और दस करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले बाइपासों के लिए जिनकी कुल लम्बाई 34.139 किमी है, आधार वर्ष 2007-08 हेतु नीचे सारिणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारिणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहित एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन प्रमाणपत्र अथवा अंतिम समापन-प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी -1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी -2

आधार वर्ष 2007.08 के लिए शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति यात्रा) (रूपये में)					
बाइपास की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन

	वाहन				
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है
16.00 किमी (गुरदासपुर जिले में लडपलवां गांव के पास)	31.310
88.500 किमी (अमृतसर जिले में वरयाम नंगल गांव के पास)	36.971

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, उपर्युक्त सारिणी 2 के अनुसार शुल्क भी, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास (बाइपासों) की लंबाई (किमी में) और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		
	बाइपास का नाम	लम्बाई (किमी में)	लागत (करोड़ रूपये में)
16.00 किमी (गुरदासपुर जिले में लडपलवां गांव के पास)	22.600 किमी से 29.200 किमी (डिजाइन चैनेज) तक दीनानगर बाइपास	6.600	51.50
	34.470 किमी से 41.570 किमी (डिजाइन चैनेज) तक गुरदासपुर बाइपास	7.100	55.00
	49.000 किमी से 55.200 किमी (डिजाइन चैनेज) तक धारीवाल बाइपास	6.200	54.00
88.500 किमी (अमृतसर जिले	66.400 किमी से 74.700 किमी	8.300	60.00

में वरयाम नंगल गांव के पास)	(डिजाइन चैनेज) तक बटाला बाइपास		
	102.563 किमी से 108.502 किमी (डिजाइन चैनेज) तक वेरका बाइपास	5.939	52.00

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें हर वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी 1 तथा 2 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना राजमार्ग परियाजना की लम्बाई के पूरे कर लिए गए भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात्, उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार और रियायत करार के प्रावधानों के

अनुसार, इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा और प्रकाशित किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन की तारीख से छ: महीने की अवधि में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा.सं.भारारापा/13013/सीओ/657/11-12/जीसी-अमृतसर (पठानकोट-अमृतसर)बीओटी/227]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव,

Ministry of Road Transport and Highways

Notification

New Delhi, the 25th June, 2013

S.O.1846(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile *Ministry of Road Transport and Highways* number S.O. 2592 (E), dated the 12th October, 2009, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 6.082 to kilometer 108.502 (Pathankot-Amritsar Section) of National Highway No. 15 in the State of Punjab to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 16.11.2009 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s IRB Pathankot Amritsar Toll Road Private Limited, having its registered office at IRB Complex, Chandivli Farm, Chandivli Village, Andheri (East), Mumbai-400072, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 19.06.2009 for the development of Pathankot - Amritsar section from km 6.082(Design Chainage) to km 108.502 (Design Chainage) on National Highway No. 15 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section in the state of Punjab on Design, Build, Finance, Operate and Transfer(DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 68.281 km for use of the four and more lane sections and at the base rates specified in the Table No.2 for bypasses having an aggregate length of 34.139 km, costing Rupees Ten Crore or more for the base year 2007-08 on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation (COD) declared by the Authority and on getting Completion Certificate

from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Base rate of fee for the base year 2007-08(Rupees per vehicle per trip)					
Cost of bypass (Rupees in Crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional rupees five Crores or part thereof, exceeding rupees fifteen Crores and up to rupees one hundred Crores.	1	1.50	3	4.50	6

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
km 16.00 (Near Ladpalwan village in Gurdaspur District)	31.310
km 88.500 (Near Waryam Nangal village in Amritsar District)	36.971

2. In additional to above, the fee as per Table 2 above shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bypass(es) for which additional fee is payable		
	Name of Bypass	Length (in Km)	Cost (in Rs. Crore)
km 16.000 (Near Ladpalwan village in Gurdaspur District).	Dinanagar Bypass from km 22.600 to km 29.200 (Design Chainages)	6.600	51.50
	Gurudaspur Bypass from km 34.470 to km 41.570 (Design chainages)	7.100	55.00
	Dhariwal Bypass from km 49.000 to 55.200 (Design Chainages)	6.200	54.00
km 88.500 (Near Waryam Nangal village in Amritsar District).	Batala Bypass from km 66.400 to km 74.700 (Design Chainages)	8.300	60.00
	Verka Bypass from km 102.563 to 108.502(Design Chainages)	5.939	52.00

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non – commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometer from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highways. The same shall be got published by the authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and provisions of the concession agreement and published provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 06 (six) months has elapsed from COD.

[F. No NHAI/13013/CO/657/11-12/GC-Amritsar (Pathankot-Amritsar) BOT/227]

ALKESH SHARMA, Jt.Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.